रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2016/श्रावण 31, 1938
No. 578] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2016/SRAVANA 31, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 809(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वैज्ञानिक समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वैज्ञानिक समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वैज्ञानिक समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 में, -

(i) नियम 13 में उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :-

"(4) नम्य पूरकता स्कीम के अधीन नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट निम्नतर श्रेणी के पद से उच्चतर श्रेणी के पद पर प्रोन्नति के लिए छानबीन से पाए वैज्ञानिकों के निर्धारण के लिए विभागीय पिअॅर पुनर्विलोकन समिति का संघटन तत्संबंधी स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा, अर्थात् :-

सारणी

पद	विभागीय पिअॅर पुनर्विलोकन समिति की संरचना
(1)	(2)
वैज्ञानिक 'ई' से वैज्ञानिक 'एफ'	1. अध्यक्ष - सचिव 2. सदस्य - अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों से दो सचिव या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे के न हों 3. बाहरी सदस्य - सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र में ख्याति-प्राप्त दो वैज्ञानिक या विशेषज्ञ 4. सदस्य - संयुक्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

वैज्ञानिक 'एफ' से वैज्ञानिक 'जी'	1. अध्यक्ष - सचिव 2. सदस्य - अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों से दो सचिव या उनके प्रतिनिधि जो अपर सचिव के रैंक से नीचे के न हों 3. बाहरी सदस्य - सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र में ख्याति-प्राप्त दो वैज्ञानिक या विशेषज्ञ 4. सदस्य - अपर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

(ii) अनुसूची-I में, सारणी 1 और सारणी 4 के लिए क्रमशः निम्नलिखित सारणियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

"**सारणी -1 :** मंत्रालय में पदों की कुल संख्या (संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित) :-

पदनाम	पदों की संख्या
वैज्ञानिक 'बी'	40
वैज्ञानिक 'सी'	153
वैज्ञानिक 'डी'	51
वैज्ञानिक 'ई'	11
वैज्ञानिक 'एफ'	07
वैज्ञानिक 'जी'	02
कुल	264* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

"**सारणी - 4 :** भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (अधीनस्थ कार्यालय) में पदों की संख्या :

पदनाम	पदों की संख्या
वैज्ञानिक 'बी'	00
वैज्ञानिक 'बी' (आईटी)	02
वैज्ञानिक 'सी'	41
वैज्ञानिक 'डी'	18
वैज्ञानिक 'ई'	02
वैज्ञानिक 'एफ'	01
वैज्ञानिक 'जी'	01
कुल	65

टिप्पण-1 : भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में वैज्ञानिक 'बी' के पदों को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वैज्ञानिक 'बी') भर्ती नियम, 2000 द्वारा भरा जाएगा।

टिप्पण-2 : नम्य पूरकता स्कीम के अधीन वैज्ञानिक 'सी' की श्रेणी का पुनर्विलोकन मूल काडर प्रोन्नति के लिए स्कीम और इन वैज्ञानिक 'बी' पदों के संबंध में अन्य उच्चतर श्रेणी पर नियम 12 के अनुसार होगा।

[फा. सं. 08/01/2015-पी. III]

एस. एस. नेगी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में संख्या सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2016

G.S.R. 809(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Scientific Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2015, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Scientific Group 'A' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Scientific Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2015,-

(i) in rule 13, for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely :-

"(4) The composition of the Departmental Peer Review Committee for assessment of screened-in scientists for promotion under the Flexible Complementing Scheme from a post in the lower grade to a post in the higher grade as specified in column (1) of the table below, shall be as specified in column (2) thereof, namely:—

TABLE

Posts	Composition of the Departmental Peer Review Committee
(1)	(2)
Scientist 'E' to Scientist 'F'	1. Chairman – Secretary 2. Members – Two Secretaries from other Scientific Ministries/Departments or their representatives not below the rank of Joint Secretary 3. External Members – Two eminent scientists or experts in the relevant field nominated by the competent authority 4. Member –Joint Secretary, Department of Personnel and Training
Scientist 'F' to Scientist 'G'	1. Chairman – Secretary 2. Members – Two Secretaries from other Scientific Ministries/Departments or their representatives not below the rank of Additional Secretary 3. External Members – Two eminent scientists or experts in the relevant field nominated by the competent authority. 4. Member – Additional Secretary, Department of Personnel and Training." ;

(ii) in Schedule I, for table 1 and table 4, the following tables shall respectively, be substituted namely :—

"**Table**-1: Total number of posts in the Ministry (including its attached and subordinate offices):—

Designation	Number of posts
Scientist 'B'	40
Scientist 'C'	153
Scientist 'D'	51
Scientist 'E'	11
Scientist 'F'	07
Scientist 'G'	02
Total	264* * Subject to variation dependent on workload.

Table-4: Number of posts in Botanical Survey of India (a subordinate office):

Designation	Number of posts
Scientist 'B'	00
Scientist 'B' (IT)	02
Scientist 'C'	41
Scientist 'D'	18
Scientist 'E'	02
Scientist 'F'	01
Scientist 'G'	01
Total	65

Note-1: The posts of Scientist 'B' in Botanical Survey of India shall be filled up by the Botanical Survey of India(Scientist 'B') Recruitment Rules, 2000.

Note-2: The Scheme for review and in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme to the grade of Scientist 'C' and other higher grades in respect of these Scientist 'B' posts shall be in accordance with rule 12 of these rules."

[F. No. 08/01/2015-P. III]

S. S. NEGI, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKH NATH YADAV Digitally signed by GORAKH NATH YADAV Date: 2016.08.24 09:11:38 +05'30'